

STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing

	<p>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P) VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PHONE:- 011-23544794 E-mail:- djbdirector@gmail.com</p>	
---	---	---

DJB/VS- B-2022 (4p:is:7th LS)/ 02

Dated: 30.12.2021

To

Shri Niraj Aggrawal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:- Vidhan Sabha Starred Question No. 33 due for 04.01.2021.


Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2020-25/VSS/Ques. Branch/268 dated 25.12.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.


(Arvind Kr. Kaushik)
Director (Admn.& Personnel)

A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,
New Delhi-110005

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :- 33
दिनांक :- 04.01.2022
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री धर्मपाल लाकड़ा, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि नए कनेक्शनों पर 200 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों के लिए दिल्ली जलबोर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क वसूल करता है;	जी हाँ, निदेशक (राजस्व) के परिपत्र संख्या No. DJB/DOR/ Infra.Charges/2020/5053 dated 06.10.2020 अनुसार नए कनेक्शनों पर 200 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों के लिए दिल्ली जल बोर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क वसूल करता है।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने अपने घरों का निर्माण अपनी खुली कृषि भूमि पर किया है;	इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि खुली कृषि भूमि पर होने के कारण मकान छोटे होने के बावजूद उनसे इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क देने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वह भूमि उनके खेत ही हैं, भू-खंड नहीं हैं;	जितने क्षेत्र में घर बनाया गया है, उसी क्षेत्र पर नियमानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क लगता है, खुली कृषि भूमि पर इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क नहीं लगता।
(घ)	क्या इस संबंध में सरकार अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करने जा रही है, ताकि गाँव के व्यक्तियों को भारी भरकम इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क न देना पड़े;	इस मामले में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(ङ)	यदि हाँ, तो उसका विवरण, और	लागू नहीं।
(च)	यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?	लागू नहीं।

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,
New Delhi-110005